रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092025-266215
CG-DL-E-17092025-266215

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4102] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 17, 2025/भाद्र 26, 1947
No. 4102] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 2025/BHADRA 26, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

का.आ. 4219(अ).—सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 109 की उपधारा (5) के तीसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित मामलों या मामलों के वर्ग को अधिसूचित करती है जिनके संबंध में अपील केवल प्रधान न्यायपीठ द्वारा सुनी जाएगी, अर्थात्:-

किसी मामले या मामलों के वर्ग,-

(क) जो दो या अधिक राज्य न्यायपीठों के समक्ष वहां लंबित हैं जहां अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि विधि का समान प्रश्न अंतर्वलित है;

(ख) जहां उसमें ऐसे एक या अधिक मुद्दे अंतर्वलित हैं जो एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 या धारा 14क के अंतर्गत आते हैं; और

(ग) जहां उसमें ऐसे एक या अधिक मुद्दे अंतर्वलित हैं जो केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 20 के अंतर्गत आते हैं।

[फा. सं. ए-50/7/2025-जीएसटीएटी-डीओआर]

बालसुब्रमणियन कृष्णमूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

S.O. 4219(E).—In exercise of the powers conferred by the third proviso to sub-section (5) of section 109 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) the Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the following cases or class of cases, in respect of which an appeal shall be heard only by the Principal Bench, namely: —

Any case or class of cases, —

(a) pending before two or more State Benches where the President is satisfied that an identical question of law is involved;

(b) where one or more issues involved therein covered under section 14 or section 14A of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017(13 of 2017); and

(c) where one or more issues involved therein is covered under section 20 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017(12 of 2017).

[F. No. A-50/7/2025-GSTAT-DoR]

BALASUBRAMANIAN KRISHNAMURTHY, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA